न्यूज़ टुडे

भारत के लिए जिला-स्तरीय जलवायु जोखिम आकलन' रिपोर्ट जारी की गई

यह रिपोर्ट '**भारत के लिए जिला-स्तरीय जलवायु जोखिम आकलन: IPCC फ्रेमवर्क का उपयोग करके बाढ़ और सूखे के जोखिमों का मानचित्रण**' शीर्षक से जारी की गई है।

- यह रिपोर्ट **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी** ने तैयार की है। इसे **IIT मंडी और विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नीति अध्ययन केंद्र (CSTEP), बेंगलुरु** के सहयोग से तैयार किया गया है।
- इस रिपोर्ट में **जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) के फ्रेमवर्क का उपयोग** किया गया है। साथ ही, यह बाढ़ और सूखे से उत्पन्न दोहरे खतरों की पहचान करती है तथा सुभेद्य आबादी पर इनके असमान प्रभावों को उजागर भी करती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **बाढ़ जोखिम का आकलन:** भारत के **51 जिले बाढ़ संबंधी जोखिम की 'अत्यंत उच्च (Very High)'** श्रेणी में आते हैं तथा अन्य **118 जिले 'उच्च (High)'** श्रेणी में आते हैं।
  - ये जिले मुख्यतः **असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा और जम्मू एवं कश्मीर** में हैं।
- **सूखा जोखिम आकलन: 91** जिले **सूखे** से संबंधित जोखिम की **'अत्यंत उच्च'** श्रेणी में आते हैं तथा अन्य **188** जिले **'उच्च'** श्रेणी में आते हैं।
  - ये जिले मुख्यतः **बिहार, असम, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र** में हैं।
- **बाढ़ और सूखे का दोहरा जोखिम: 11 जिले बाढ़ और सूखे दोनों के मामले में "अत्यंत उच्च"** जोखिम की श्रेणी में हैं।

आगे की राह

- **बहु-स्तरीय और क्षेत्रीय दृष्टिकोण:** अलग-अलग क्षेत्रकों और विविध स्तरों पर जोखिमों का आकलन करना चाहिए।
- **जलवायु परिवर्तन परिदृश्य के अंतर्गत जोखिम आकलन:** भविष्य के जलवायु परिदृश्यों को जोखिम आकलन में शामिल किया जाना चाहिए।
- **क्षमता निर्माण:** राज्य और जिला प्रशासकों के कौशल में निरंतर सुधार करना चाहिए।
- **उभरते नए जोखिम:** इसमें भूस्खलन, हीट स्ट्रेस और मिश्रित घटनाओं जैसे नए खतरों को शामिल करने के लिए जलवायु कार्रवाई फ्रेमवर्क्स को अपडेट करना चाहिए।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार सूखे और बाढ़ की परिभाषा

- **सूखा:** जब किसी क्षेत्र में **सामान्य दीर्घकालिक वर्षा में 26% या उससे अधिक की कमी** हो, तो उसे सूखा कहा जाता है।
  - **इसे आगे और दो श्रेणियों में बांटा गया है:**
    - **मध्यम सूखा:** 26% से 50% तक कमी; और
    - **गंभीर सूखा:** 50% से अधिक कमी।
- **बाढ़:** जब जल का अतिप्रवाह सामान्यतः सूखी भूमि को डुबा या जलमग्न कर देता है, तो उसे बाढ़ कहते हैं।
  - इसके लिए जिम्मेदार मुख्य कारणों में **भारी वर्षा, चक्रवाती घटनाएं या नदियों या अन्य जल निकायों में क्षमता से अधिक जल स्तर** हो जाना आदि शामिल हैं।

इंडियाAI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए

इंडियाAI मिशन के तहत **"सुरक्षित और विश्वसनीय AI"** घटक के अंतर्गत यह प्रस्ताव आमंत्रित गया है। इस घटक का उद्देश्य AI को जिम्मेदारीपूर्वक अपनाने के मामले में पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी साधनों व फ्रेमवर्क के विकास को सक्षम बनाना है।

- इंडियाAI केंद्रीय **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग (IBD) है। यह **इंडियाAI मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी है।**
- **नैतिक AI फ्रेमवर्क की आवश्यकता में शामिल हैं:**
  - AI सिस्टम में पक्षपात/ पूर्वाग्रह और भेदभाव को रोकना;
  - AI आधारित निर्णय लेने में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना;
  - समाज में जागरूकता को प्रोत्साहित करना, आदि।
- **सुरक्षित और विश्वसनीय AI घटक के तहत चुने गए विषय:**
  - **वॉटरमार्किंग और लेबलिंग:** AI-जनरेटेड कंटेंट को प्रमाणित करने के लिए टूल्स विकसित करना। इससे AI-जनरेटेड कंटेंट को पहचाना जा सकेगा और सुरक्षित व हानिकारक कंटेंट से मुक्त किया जा सकेगा।
  - **नैतिक AI फ्रेमवर्क:** वैश्विक मानकों के अनुरूप AI फ्रेमवर्क स्थापित करना, जो मानव मूल्यों का सम्मान करें और निष्पक्षता को बढ़ावा दें।
  - **AI जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन:** सार्वजनिक सेवाओं में AI के सुरक्षित उपयोग को बढ़ाने के लिए जोखिम प्रबंधन संबंधी टूल्स और फ्रेमवर्क तैयार करना।
  - **स्ट्रेस टेस्टिंग टूल्स:** ऐसे टूल्स विकसित करना, जो चरम परिस्थितियों में AI मॉडल्स के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें, कमजोरियों का पता लगाएं और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में AI के उपयोग के प्रति विश्वास बढ़ाएं।
  - **डीपफेक डिटेक्शन टूल्स:** रियल टाइम में डीपफेक का पता लगाने और उसे रोकने के लिए टूल्स विकसित करना। इससे गलत जानकारी और नुकसान को रोका जा सकेगा तथा डिजिटल इकोसिस्टम सुरक्षित व विश्वसनीय बनाया जा सकेगा।

AI को नैतिक बनाने को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलें:**
  - **OECD के AI सिद्धांत:** ये निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित AI के लिए दिशा-निर्देश हैं।
  - **यूनेस्को की 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग पर सिफारिश (Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence)'** को 2021 में अपनाया गया।
- **भारत में शुरू की गई पहलें**
  - **राष्ट्रीय AI रणनीति (नीति आयोग):** यह भारत में AI के जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग के विकास को बढ़ावा देने के लिए समावेशिता और निष्पक्षता पर केंद्रित फ्रेमवर्क प्रदान करती है।
  - **नीति आयोग द्वारा रिस्पॉन्सिबल AI #AIForAll:** यह पारदर्शिता बढ़ाने, पूर्वाग्रह की रोकथाम करने और निजता का सम्मान करने वाली AI प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले दिशा-निर्देश हैं।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होने के 75 वर्ष पूरे हुए

बैंकिंग अधिनियम का उद्देश्य **बैंकिंग क्षेत्रक का विनियमन और पर्यवेक्षण** करना है। इससे बैंकिंग प्रणाली की **कार्यप्रणाली में शुचिता और बैंकों में धन जमा करने वालों के हितों की सुरक्षा** सुनिश्चित होती है।

- भारत की स्वतंत्रता से पहले, बैंकों का विनियमन **कंपनी अधिनियम, 1850 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934** के तहत किया जाता था।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की उपलब्धियां

- **समावेशन और आउटरीच:** इस अधिनियम के तहत **'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण' (Priority Sector Lending)** जैसी पहलों की शुरुआत की गई। इससे **कृषि क्षेत्रक और लघु उद्योगों को बैंकों से ऋण मिलना** आसान हुआ।
- **बैंकों का सुचारू संचालन:** इस अधिनियम ने अलग-अलग **आर्थिक चक्रों या संकटों के दौरान बैंकिंग क्षेत्रक का सुचारू संचालन** बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - उदाहरण के लिए- इस अधिनियम के तहत **पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR)** और तरलता कवरेज अनुपात जैसे विनियामक कदम उठाए गए। इससे भारतीय बैंकों को 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभावों का सामना करने में मदद मिली।
- **बैंकों पर विश्वास बढ़ना:** विनियामकीय निगरानी और बैंकों में जमा धन सुरक्षित होने की वजह से बैंकों पर जनता का विश्वास बढ़ा है।
  - **त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action) फ्रेमवर्क:** RBI ने **बैंकिंग अधिनियम** के तहत यह कदम उठाया था। यह **बैंकों के वित्तीय संकट की शीघ्र पहचान** करने में मदद करती है। फिर बैंकों के लिए **सुधारात्मक उपायों को लागू करना अनिवार्य** किया जाता है।
- **समय के साथ नई पहलों को अपनाना: डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय समावेशन और वैश्विक वित्तीय मानकों को अपनाने** जैसी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंकिंग व्यवस्था में सुधार किए गए हैं।
  - उदाहरण के लिए- **2014 में पेमेंट बैंक और 2016 में स्मॉल फाइनेंस बैंक** की शुरुआत की गई थी।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के मुख्य प्रावधान

- **लाइसेंसिंग और संचालन:** बैंकों को संचालन शुरू करने के लिए इस अधिनियम के तहत RBI से लाइसेंस प्राप्त करना होता है।
  - साथ ही, इसी अधिनियम के तहत **बैंकों की नई शाखा खोलने और बंद करने के लिए नियम** बनाए गए हैं।
- **बैंकों के प्रबंधन का निरीक्षण:** इस अधिनियम के तहत RBI बैंकों के **बोर्ड की संरचना, निदेशकों की नियुक्ति, प्रबंधन कार्यों आदि पर निगरानी** रखता है।
- **वित्तीय स्थिरता के लिए उपाय:** इसी अधिनियम के तहत बैंकों को **नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और तरल परिसंपत्ति बनाए** रखना होता है। इसके अतिरिक्त, **बैंकों द्वारा लाभांश वितरण को भी सीमित** किया गया है।
- **पब्लिक डिस्क्लोजर: अनिवार्य ऑडिट और वित्तीय विवरणों को सार्वजनिक रूप से जारी** करने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इससे **बैंकों के कामकाज में पारदर्शिता** सुनिश्चित हुई है।

WEF ने "महिला किसानों के लिए कृषि प्रौद्योगिकी: समावेशी विकास हेतु एक व्यावसायिक दृष्टिकोण" रिपोर्ट जारी की

यह रिपोर्ट **विश्व आर्थिक मंच (WEF)** ने जारी की है। इस रिपोर्ट में **लैंगिक समावेशी कृषि प्रौद्योगिकी का वैश्विक अवलोकन** प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, इसमें यह तथ्य भी रेखांकित किया गया है कि लैंगिक समावेशी कृषि प्रौद्योगिकी किस प्रकार महिला किसानों को अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने में मदद कर सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित हेतु महिला किसानों के लिए लैंगिक समावेशी कृषि प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है:

- **कृषि में महिलाओं का योगदान:** भारत में **कपास, गन्ना, चाय, कॉफी और काजू** जैसी वाणिज्यिक मूल्य श्रृंखलाओं में महिलाओं की भागीदारी **लगभग 50%** के साथ उल्लेखनीय रूप से अधिक है।
  - इस पर्याप्त भागीदारी के बावजूद भी महिलाओं की आय पुरुषों की तुलना में **60% तक कम** है। साथ ही, उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और तकनीक तक **सीमित पहुंच** का भी सामना करना पड़ता है।
- **दक्षता:** उत्पादन के मामले में कृषि प्रौद्योगिकी संबंधी डेटा आधारित योजना को अपनाकर खाद्य हानि और खाद्य अपशिष्ट दोनों को कम किया जा सकता है। साथ ही, कारोबार को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक दक्ष और मजबूत बनाने में भी सक्षम बनाया जा सकता है।
- **व्यावसायिक अनिवार्यता:** निजी क्षेत्रक के लिए लैंगिक-समावेशी कृषि प्रौद्योगिकी को रणनीतिक व्यावसायिक अनिवार्यता के रूप में स्थापित करना जरूरी है।

कृषि प्रौद्योगिकी (एग्रीटेक) को अपनाने में महिला किसानों के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **मांग पक्ष संबंधी चुनौतियां**
  - **सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं:** इसमें लैंगिक भूमिकाओं को लेकर बनी धारणाएं, महिलाओं की आवाजाही पर पाबंदियां और सुरक्षा संबंधी चिंताएं शामिल हैं।
  - **संसाधनों तक सीमित पहुंच:** भूमि के स्वामित्व की कमी के कारण महिलाओं द्वारा औपचारिक ऋण प्राप्त करना और अन्य कृषि सेवाओं का उपयोग करना कठिन हो जाता है।
  - **साक्षरता संबंधी बाधाएं:** कम शिक्षा और डिजिटल साक्षरता का अभाव जागरूकता को बाधित करता है।
- **आपूर्ति पक्ष संबंधी चुनौतियां**
  - **लैंगिक-विशिष्ट आंकड़ों का अभाव:** महिला और पुरुष किसानों की कृषि प्रौद्योगिकी सेवाओं तक पहुंच और उपयोग से जुड़े उनके अनुभवों को अलग-अलग समझने के लिए पर्याप्त डेटा की कमी है।
  - **सहायता प्रणाली की कमी:** इसमें सीमित मार्गदर्शन और आपस में सीखने के अवसर का अभाव और कृषि अनुसंधान व संबंधित सेवाओं के मामले में अकुशल समन्वय आदि की स्थिति शामिल है।

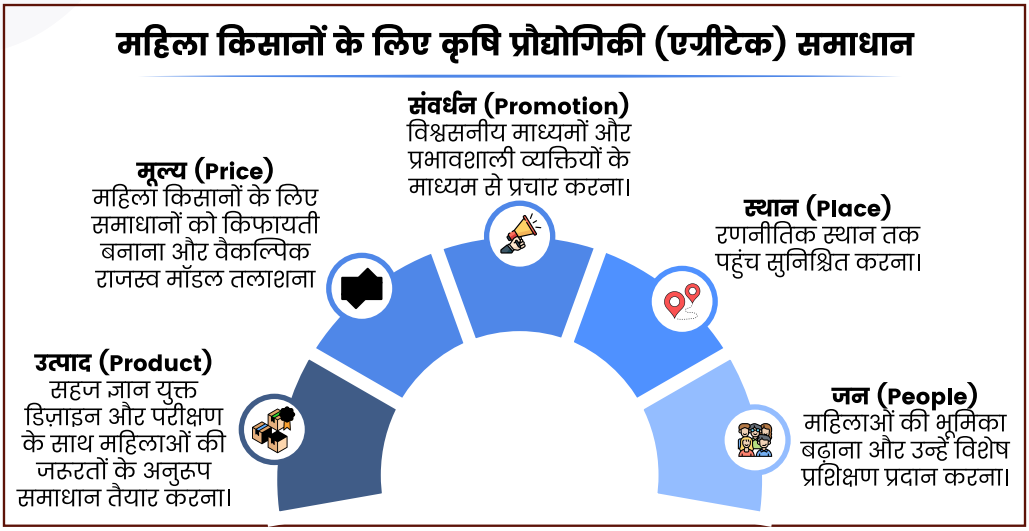

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सार्वजनिक संस्थानों में दीर्घकालिक अस्थायी नियोजन पर रोक लगा दी

- **जग्गो और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य** वाद में, सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संस्थानों में अस्थायी अनुबंधों के दुरुपयोग की आलोचना की है। साथ ही, यह आदेश भी दिया है कि यह जन विश्वास को खत्म करता है और न्याय को कमजोर करता है।

मामले पर एक नजर:

- **संदर्भ:** केंद्रीय जल आयोग (CWC) के चार हाउसकीपिंग कर्मचारी 20 वर्षों से अधिक समय तक अस्थायी अनुबंध पर कार्यरत थे। 2018 में, उन्हें अचानक बर्खास्त कर दिया गया था।
- **फैसला:** सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी को रद्द करके उन्हें पुनर्बहाल करने का आदेश दिया और उन्हें नियमित करने का भी निर्देश दिया।

SC द्वारा उठाए गए मुद्दे

- **गिग इकोनॉमी में कामगारों के प्रणालीगत शोषण में वृद्धि:** निजी क्षेत्र की गिग इकोनॉमी के विस्तार ने अनिश्चित कार्य व्यवस्थाओं को बढ़ा दिया है। इसने कामगारों को आवश्यक लाभ, रोजगार सुरक्षा और उचित व्यवहार से वंचित कर दिया है।
- **सार्वजनिक क्षेत्रक में आउटसोर्सिंग:** शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक संस्थान बार-बार अस्थायी पदों को आउटसोर्स करके नियमित नियोजन दायित्वों से बच रहे हैं। इसके कारण कामगारों के शोषण का दुष्चक्र बन गया है।
- **नियमों का उल्लंघन और नैतिक प्रभाव:** आवश्यक भूमिकाओं के लिए अस्थायी कामगारों का लंबे समय तक उपयोग करना अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन है। यह संगठन के समक्ष कानूनी चुनौतियां पैदा करता है और कर्मचारियों के मनोबल को कमजोर करता है।

सार्वजनिक क्षेत्रक में नियोजन से संबंधित अन्य वाद

- **कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी:** आवश्यक कर्तव्यों का पालन करने वाले लंबे समय से काम कर रहे अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार किया जाना चाहिए।
- **विनोद कुमार एवं अन्य आदि बनाम भारत संघ और अन्य:** जब "अस्थायी" कर्मचारियों ने विस्तारित अवधि के लिए नियमित कर्मचारी के कर्तव्यों का पालन किया है, तो प्रक्रियात्मक तकनीकी प्रावधान उनके नियमितीकरण को रोक नहीं सकते हैं।

भारत में गिग इकोनॉमी के बारे में

- नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में गिग वर्कर्स की संख्या **2020-21 की 7.7 मिलियन से बढ़कर 2029-30 तक 23.5 मिलियन** होने की उम्मीद है।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** यह गिग वर्कर को परिभाषित करती है और गिग वर्कर्स तक सामाजिक सुरक्षा लाभ के विस्तार का प्रावधान करती है।
- **उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020:** यह संहिता अनुबंध श्रम को भी नियंत्रित करती है तथा सुरक्षित और स्वस्थ कार्य परिवेश को बढ़ावा देती है।

रेलवे पर संसद की स्थायी समिति ने "रेलवे का आधुनिकीकरण और वित्तीय स्थिरता" पर केंद्रित रिपोर्ट जारी की

रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रमुख चिंताओं को रेखांकित किया गया है:

- **वित्तीय चिंताएं:** भारतीय रेलवे को **अधिकांश आय माल ढुलाई सेवाओं से प्राप्त** होती है।
  - वित्त वर्ष 2023-24 में, भारतीय रेलवे ने **माल ढुलाई से 1,68,293 करोड़ रुपये और यात्री सेवाओं से 70,693.33 करोड़ रुपये** का राजस्व अर्जित किया था।
- **परिचालन:** पिछले 11 वर्षों से मालगाड़ियों की **औसत गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं** हुई है।
- **रेल सुरक्षा: कवच प्रणाली** स्थापित करने की गति भी काफी धीमी है। दक्षिण-मध्य रेलवे में केवल 1,465 रूट किलोमीटर और उत्तर-मध्य रेलवे में 80 रूट किलोमीटर में ही यह प्रणाली काम कर रही है।
  - कवच प्रणाली लोको पायलट द्वारा **ब्रेक लगाने में विफल होने की स्थिति में स्वतः ब्रेक लगाकर ट्रेन को निर्धारित गति सीमा के भीतर** चलने में सहायता करती है। इससे खराब मौसम के दौरान **ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन में भी मदद** मिलती है।
- **अनुसंधान और विकास बजट:** वित्त वर्ष 2024-25 में **रेलवे अनुसंधान के लिए केवल 72.01 करोड़ रुपये आवंटित** किए गए थे। इनमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाएं भी शामिल हैं।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- **राजस्व में वृद्धि करना: जनरल क्लास के यात्री किराए को वहनीय** रखा जाना चाहिए। वहीं लागत के आधार पर **AC क्लास के यात्री किराए में वृद्धि** की जानी चाहिए।
  - **रेलवे की जमीन के वाणिज्यिक उपयोग और विज्ञापन** के जरिए 2030 तक **गैर-यात्री किराये से प्राप्त राजस्व में 20% तक वृद्धि** की जानी चाहिए।
- **अवसंरचना का विकास:**
  - भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए,
  - राज्य सरकार के साथ समन्वय बढ़ाना चाहिए,
  - समर्पित माल गलियारा परियोजनाओं को पूरा करना चाहिए, आदि।
- **रेल सुरक्षा और आधुनिकीकरण:**
  - मानव रहित शेष रेल क्रॉसिंग को बंद कर देना चाहिए,
  - रेलवे ट्रैक को बदलने में तेजी लाई जानी चाहिए,
  - कवच प्रणाली की स्थापना में भी तेजी लाने की जरूरत है, आदि।

अन्य सुर्ख़ियां

अनिश्चित काल के लिए स्थगन (Adjournment sine die)

हाल ही में **संसद (दोनों सदन) का शीतकालीन सत्र, 2024 अनिश्चित काल के लिए स्थगित** कर दिया गया।

'अनिश्चित काल के लिए स्थगन' के बारे में

- अनिश्चित काल के लिए स्थगन का अर्थ 'संसद की बैठक को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर देना' है।
  - इसके तहत सदन की **आगामी बैठक बुलाए जाने के लिए कोई दिन बताए बिना स्थगित** कर दिया जाता है।
- अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति **सदन के पीठासीन अधिकारी के पास** होती है।
- **पीठासीन अधिकारी** सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद **किसी भी समय सदन की बैठक बुला सकता है।**

वेरिएबल रेपो रेट (VRR)

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **वेरिएबल रेपो रेट (परिवर्तनीय रेपो दर)** की नीलामी आयोजित की थी।

वेरिएबल रेपो रेट (VRR) नीलामी के बारे में

- यह **अर्थव्यवस्था में नकदी (तरलता) बढ़ाने के लिए RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला मौद्रिक उपाय** है।
- इसके तहत, RBI बैंकों को आम तौर पर **एक दिन से अधिक अवधि के लिए उधार लेने का अवसर** प्रदान करता है। इस उधार पर **ब्याज दर, रेपो रेट से कम** होती है।
  - रेपो रेट (पुनर्खरीद दर) वह ब्याज दर है, जिस पर **केंद्रीय बैंक नकदी की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार** देता है।

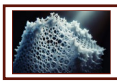

एरोजेल

भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (IISER) पुणे के शोधकर्ताओं ने एक नया एरोजेल बनाया है। यह इलेक्ट्रॉनिक-अपशिष्ट (e-waste) से सोना पुनर्प्राप्त कर सकता है।

- इससे इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और हानिकारक खनन गतिविधियों, दोनों को कम करने में मदद मिल सकती है।

एरोजेल के बारे में

- **उत्पत्ति:** 1930 के दशक में इसका आविष्कार किया गया था।
- **संरचना:** पॉलिमर को विलायक (साल्वेंट) के साथ मिलाकर जेल बनाया जाता है। फिर उस जेल से तरल को निकालकर उसकी जगह हवा भर दी जाती है।
- **विशेषताएं:** यह सबसे हल्का ठोस पदार्थ है। यह ट्रांसलूसेंट (अर्द्ध-पारदर्शी), अत्यंत छिद्रित और बहुत कम घनत्व वाला पदार्थ है।
- यह वर्तमान में उपलब्ध सबसे महीन (फाइनेस्ट) इन्सुलेशन सामग्रियों में शामिल है।

गिलहरी

स्प्रिंगर नेचर जर्नल के एक अध्ययन से पता चला है कि कैलिफोर्निया की जमीनी गिलहरियां अवसरवादी सर्वाहारी हैं। इसका अर्थ है कि इनकी खान-पान संबंधी आदतें बहुत लचीली हैं। ये शिकार करती हैं और बहुत ही गोपनीय तरीके से व्यवहार करती हैं।

- ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर, पूरी दुनिया में गिलहरी की 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं।

भारतीय पाम गिलहरी या तीन धारी वाली पाम गिलहरी के बारे में:

- **आहार:** यह सर्वाहारी है, जिसका मुख्य आहार फल और नट्स हैं। हालांकि, यह अंडे, छोटे पक्षी, लार्वा और कीड़े भी खाती है।
- **आवास:** घास और शाखाओं का उपयोग करके वृक्षों के शीर्ष भागों पर अपने घोंसले बनाती है।
- भारतीय पाम गिलहरी अपने आहार छिपाने की जगह की रक्षा के लिए बहुत आक्रामक होती है। यह अपने खाद्य भंडार का संग्रह वृक्षों के शीर्ष भागों पर करती है।

स्माइल/ SMILE कार्यक्रम

भारत और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने हाल ही में SMILE कार्यक्रम के दूसरे उप-कार्यक्रम के तहत 350 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए।

स्माइल/ SMILE (स्ट्रेंथनिंग मल्टीमॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम) कार्यक्रम के बारे में

- यह भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए ADB द्वारा समर्थित एक नीति-आधारित ऋण (PBL) कार्यक्रम है।
- **उद्देश्य**
  - इसका उद्देश्य मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स (MMLPs) में निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय और योजना निर्माण के लिए संस्थागत व नीतिगत फ्रेमवर्क को मजबूत किया जाएगा।
  - बाह्य व्यापार लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना और बेहतर सेवा वितरण के लिए स्मार्ट व स्वचालित प्रणालियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

विश्व ध्यान दिवस (World Meditation Day)

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। इस कदम का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार पर बल देते हुए ध्यान के लाभों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना है।

विश्व ध्यान दिवस के बारे में

- इस संबंध में एक संकल्प को 06 दिसंबर, 2024 को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से अपनाया था। यह प्रस्ताव लिकटेंस्टाइन, श्रीलंका, नेपाल, मैक्सिको और अंडोरा जैसे देशों द्वारा समर्थित था।
- 2024 की थीम है: "वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान"
- **महत्त्व:** इस दिवस का महत्त्व मानव चेतना के पोषण की अहमियत और आंतरिक शांति एवं करुणा के माध्यम से संघर्ष, जलवायु संकट व तकनीकी प्रगति जैसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान का ध्यान दिलाने से जुड़ा है।

व्यापार प्राप्य इलेक्ट्रॉनिक बट्टा प्रणाली (Trade Receivables Electronic Discounting System: TReDS)

व्यापार प्राप्य इलेक्ट्रॉनिक बट्टा प्रणाली (TReDS) के जरिए वित्त-पोषित बिलों में 2024 में अधिक वृद्धि दर्ज गई है।

व्यापार प्राप्य इलेक्ट्रॉनिक बट्टा प्रणाली (TReDS) के बारे में

- यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) द्वारा बड़ी कंपनियों को आपूर्ति की गई वस्तुओं के बदले ऑक्शन के माध्यम से तात्कालिक फंड प्राप्त करने में मदद करता है।
- यह इनवॉइस और ट्रेड बिल, दोनों प्रस्तुत करने पर वित्त की सुविधा प्रदान करता है।
  - इसके तहत MSMEs क्रेडिट पर बड़े कॉरपोरेट्स को वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। इसकी इनवॉइस वे TReDS पर अपलोड करते हैं। बैंक जैसे फाइनैंसर MSMEs को बोली (बिड) के जरिए कम ब्याज दर पर धन उपलब्ध कराते हैं।
  - इस तरह MSMEs को बिना कुछ गिरवी (जमानत) रखे डिजिटल माध्यम से तत्काल नकद मिल जाता है।
- वर्तमान में तीन प्लेटफॉर्म्स TReDS प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने के लिए RBI के पास पंजीकृत हैं। ये हैं:
  - TReDS प्लेटफ़ॉर्म - रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (RXIL),
  - M1xchange और
  - इनवॉइसमार्ट।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 सीजन के लिए नारियल गिरी (Copra) की MSP में 420 रुपये की वृद्धि करके इसे 12,100 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बारे में

- MSP वह न्यूनतम मूल्य है, जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है।
  - इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाकर उनकी आय सुनिश्चित करना है।
- कृषि लागत और मूल्य आयोग फसलों की MSP की सिफारिश करता है। इस पर अंतिम निर्णय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है।
- केंद्र सरकार हर साल 22 प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए MSP की घोषणा करती है। इनमें खरीफ, रबी और वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।
- उपर्युक्त के अलावा तोरिया और छिलका रहित नारियल (De-husked coconut) की MSP भी तय की जाती है।
  - तोरिया की MSP रेपसीड और सरसों की MSP के आधार पर तथा छिलके रहित नारियल की MSP नारियल गिरी की MSP के आधार पर तय की जाती है।

साहित्य अकादमी

नागालैंड की लेखिका ईस्टरीन किरे की रचना "स्पिरिट नाइट्स" को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है।

साहित्य अकादमी के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसका औपचारिक रूप से 1954 में उद्घाटन किया गया था। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है।
- **मंत्रालय:** यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।
- **भूमिका:** अकादमी 24 भाषाओं (22 अनुसूचित भाषाओं और अंग्रेजी व राजस्थानी) में साहित्यिक गतिविधियों का संचालन करती है।
  - इसे 'भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी' के रूप में सम्मानित किया गया है।
- **इसके प्रमुख पुरस्कार:** साहित्य अकादमी पुरस्कार, भाषा सम्मान आदि।